भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 97
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस

97. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन, पूर्व-स्कूल शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति आयोग ने अपनी राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति में जिलों में प्रायोगिक योजनाओं की यह परीक्षण करने के लिए शुरुआत करने की सिफारिश की थी कि क्या नकद हस्तांतरण, अपने आईसीडीएस के एक भाग के रूप में मिलने वाले राशन और अनुपूरक पोषण के प्रावधान के स्थान पर नकद हस्तांतरण को शुरू किया जा सकता है ताकि वितरण में चोरी और खराब गुणवत्ता के खाद्य अनुपूरक पदार्थों की आपूर्ति को रोका जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के तहत केन्द्र सरकार ने छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मां के लिए प्रतिदिन प्रति लाभार्थी की लागत में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : आंगनवाड़ी सेवा (अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत) में 6 सेवाओं, अर्थात पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है । 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं इस स्कीम की लाभार्थी हैं । ब्यौरा इस प्रकार है :

सेवाएं	लक्ष्य वर्ग	द्वारा प्रदत्त सेवाएं
पूरक पोषण	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका
टीकाकरण	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	एएनएम/आशा/चिकित्सा अधिकारी
स्वास्थ्य जांच	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	एएनएम/आशा/चिकित्सा अधिकारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री

संदर्भ सेवाएं	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/एएनएम/चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
स्कूल-पूर्व शिक्षा	3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा	महिलाएं (15-45 वर्ष)	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/एएनएम/चिकित्सा अधिकारी

(ख) और (ग) : उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की बैठकों के दौरान मामले पर चर्चा हुई तथा इसकी समीक्षा की गई । 14 नवम्बर, 2018 को राष्ट्रीय परिषद की तीसरी बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के दो-दो जिलों के कुछ ब्लॉकों में घर ले जाने वाले राशन के स्थान पर सशर्त नकद अंतरण (सीसीटी) स्कीम को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जाए । घर ले जाने वाले राशन के स्थान पर सीसीटी के पैरामीटरों तथा प्रचालन के तौर-तरीकों को तय करने के लिए सदस्य, स्वास्थ्य एवं पोषण, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । प्रायोगिक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दो जिलों में दो-दो ब्लॉकों का चयन किया गया है ।

(घ) और (ड.) : वार्षिक अनुक्रमणिका के साथ आंगनवाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषण के लागत संबंधी मानदंडों को अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार संशोधित किया गया है :

क्र.सं.	श्रेणियां	पुरानी दरें (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी रुपये में)	संशोधित दरें (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी रुपये में)
1.	बच्चे (6-72 माह)	6.00	8.00
2.	गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती माताएं	7.00	9.50
3.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	9.00	12.00

*****